राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2320/2021

प्रेम प्रकाश —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण, राजस्थान सरकार, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.07.2021
आदेश की दिनांक : 30.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 18.07.1970 के द्वारा हेल्पर के पद पर 66–90 रुपये के वेतनमान में हुई। आदेश दिनांक 23.02.1977 द्वारा अपीलार्थी को 295–500 रुपये के वेतनमान में पम्प चालक–II के पद पर नई नियुक्ति की अनुमति दी गई। राजस्थान सरकार ने दिनांक 25.01.1992 के परिपत्र के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी, मंत्रालयिक अधीनस्थ सेवाओं और पृथक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए चयन वेतनमान लाभ शुरू किया था। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि कई कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल में कोई पदोन्नति नहीं मिल रही थी, जिससे सेवा में ठहराव की समस्या उत्पन्न हो रही थी। इस समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार ने 9 वर्ष, 18 वर्ष और 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तीन चयन वेतनमान प्रदान करके वेतन में वृद्धि की अनुमति दी। परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अनुसरण में अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 11.06.1993 के आदेश के अनुसार 25.01.1992 से 1200–2050 रुपये के वेतनमान में प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया था (अनुलग्नक–ए/2)। अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 12.01.2007 के आदेश द्वारा उसी वेतनमान 1200–2050 रुपये में द्वितीय चयनित वेतनमान भी प्रदान किया गया था, जो वह पहले से प्राप्त कर रहा था (अनुलग्नक–ए/3)। द्वितीय चयन ग्रेड के अनुरूप

समान वेतनमान दिए जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर के समक्ष रिट याचिका संख्या 5676/2016 दायर की, जिसे निर्णय दिनांक 11.07.2016 (अनुलग्नक–ए/4) द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया गया कि वह अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान के रूप में अगला वेतनमान 1400–2600 रुपये (5000–8000 रुपये) प्रदान करे। दिनांक 11.07.2016 के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी को 25.02.1995 से 18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 1400–2600 रुपये (5000–8000 रुपये) का चयनित वेतनमान दिया गया और उसे उसकी सेवानिवृत्ति यानी 31.08.2010 तक 4,55,769 रुपये की राशि के लिए देय बकाया भी दिया गया था, जो राशि वास्तव में करों की कटौती के बाद अपीलार्थी को 4,09,769 रुपये का भुगतान किया गया है और ऐसी राशि भी प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी के बचत बैंक खाते में दिनांक 22.03.2019 को जमा की गई थी। बकाया बिल की गणना शीट की प्रति अनुलग्नक–ए/5 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी के बचत बैंक खाते की पासबुक की सत्य प्रति अनुलग्नक–ए/6 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी के द्वितीय चयनित वेतनमान को 25.02.1995 से 1400–2600 रुपये (5000–8000 रुपये) के वेतनमान में पुनर्निर्धारित करने के बावजूद, अभी भी प्रत्यर्थी संख्या 2 पेंशन विभाग अपीलार्थी के पेंशन लाभ अर्थात पीपीओ, जीपीओ और सीपीओ को संशोधित नहीं कर रहा है और इसलिए अपीलार्थी ने दिनांक 02.07.2021 (अनुलग्नक–ए/1) द्वारा अपने अधिवक्ता जरिये एक कानूनी नोटिस भी प्रस्तुत किया गया परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5676/2016 में पारित दिनांक 11.07.2016 के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी को दी गई द्वितीय चयन ग्रेड के संशोधन के अनुसरण में संशोधित पीपीओ, जीपीओ और सीपीओ जारी करने एवं देय बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील की पेंशन संशोधित करवाने बाबत् प्रकरण कार्यालय के पत्र दिनांक 27.05.2024 को पेंशन विभाग में भिजवाया गया था इसके पश्चात पेंशन विभाग द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर पुनः प्रकरण दिनांक 09.07.2024 द्वारा पेंशन विभाग को भिजवा दिया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के संबंध में पेंशन विभाग द्वारा संशोधित पीपीओ/सीपीओ इसी माह सितम्बर, 2024 में जारी कर दिया है परन्तु इसके अनुसार संशोधित पेंशन एवं एरियर राशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के संबंध में संशोधित पीपीओ/सीपीओ जारी किये जा चुके हैं। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि जारी संशोधित पीपीओ/सीपीओ के अनुरूप अपीलार्थी को नियमित रूप से संशोधित पेंशन का भुगतान किया जावे। अपीलार्थी को देय बकाया पेंशन राशि का भुगतान भी दो माह की समयावधि में 9 प्रतिशत ब्याज सहित करना सुनिश्चित किया जावे। उक्त निर्देशों के साथ ही अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य